

राजभाषा अधिनियम

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों को केवल द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) में जारी किया जाना अनिवार्य है :-

The following documents are compulsory to issue in bilingual under article 3(3) of Official Language Act 1963

1. संकल्प Resolution	2. सामान्य आदेश (कार्यालय आदेश, सूचना एवं परिपत्र) General order (Office order, Notice & circulars)
3. नियम Rules	4. अधिसूचनाएँ Notifications
5. प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन Administrative and other reports	6. सरकारी कागजात Official papers
7. प्रेस विज्ञप्तियाँ Press Communiques	8. संविदाएँ Contracts
9. करार Agreement	10. अनुज्ञप्तियाँ Licences
11. अनुज्ञा पत्र Permits	12. निविदा सूचनाएँ Tender Notices
13. निविदा फार्म Tender Forms	
संसद के सदन या सदनों के सम्मुख प्रस्तुत प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन। (Administrative and other reports laid before a house or the houses of parliament) इसके परिपालन की पूर्ण जिम्मेदारी विभागीय प्रशासनिक प्रमुख (Departmental Admn. Chief) अथवा हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी (Signing Authority)की होती है।	